कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 2271 / FP/UK/ROAD/19494/2016 देहरादूनः दिनॉक 01- अप्रैल, 2023

सेवा में,
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय– जनपद–अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक तिनगैर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी./यू.सी.पी./06/26/2020/एफ.सी./2860 दिनांक 06–03–2020 एवं आपकी पत्र संख्या–2499/12–1 दिनांक 13.03.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सूचना/आख्या चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। अवगत कराना है कि आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना के अनुरूप नहीं है। अतः भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार पुनः उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

1. **बिन्दु संख्या–1** के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल kml file में अभी भी 3.20 है0 ही दर्शित हो रहा है। अतः सी0ए0 हेतु प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल kml file में 3.85 है0 दर्शाते हुये संशोधित kml file ऑनलाईन अपलोड करने का कष्ट करें।
2. **बिन्दु संख्या–3** के अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट–।। के पैरा–7 पर वन की सीमा से प्रस्तावित स्थल की अनुमानित दूरी 0.00 किमी0 अंकित की गयी है, जो आतिथि तक संशोधित नहीं की गयी है। अतः प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से दूरी आनलाईन यथास्थान अपलोड करने का कष्ट करें।
3. **बिन्दु संख्या–4** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या में पैरा–5.3 में कोई भी टिप्पणी नहीं दी गयी है। कृपया उक्त पैरा–5.3 में यथावश्यक टिप्पणी अंकित करते हुये संशोधित SIR प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
4. **बिन्दु संख्या–5** के क्रम में अवगत कराना है कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण (Site Visit) एवं मुआयना किया जाय एवं उक्त बिन्दु के क्रम में स्पष्ट जांच आख्या/टीप अपनी संस्तुति के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय, ताकि उक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार को आख्या प्रेषित की जा सके।
5. **बिन्दु संख्या–6** के अनुपालन में प्रस्तावित परियोजना का औचित्य एवं आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया औचित्य प्रमाण–पत्र (Justification) में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अतः संशोधित औचित्य प्रामण–पत्र (Justification) प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।
6. **बिन्दु संख्या–9** के अनुपालन में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के जियो रेफिरेन्स मानचित्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये हैं। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के जियो रेफिरेन्स मानचित्र की मूल प्रति प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित कर प्रस्ताव के पार्ट–। एवं पार्ट–।। में यथास्थान अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7. **बिन्दु संख्या–10** के अनुपालन में मलवा निस्तारण की गणना 3.00 मीटर के स्थान पर 6.00 मीटर चौड़ाई में करते हुये संशोधित मलवा निस्तारण योजना ऑनलाईन अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का ऑनलाई एवं ऑफलाईन पूर्णतः निराकरण करने हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें, तथा भारत सरकार द्वारा इंगित समस्त आपत्तियों का निराकरण कराते हुये प्रस्ताव को सभी तीन मूल प्रतियों में पुनः इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

संख्या २२७१ / FP/UK/ROAD/19494 **तद्दिनांकित।**

1. **प्रतिलिपि** :–प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण करवाकर प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. **प्रतिलिपि** :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा को भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कमियों का पूर्णतः निराकरण कर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

01/5/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून